

## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.  
राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./87/2023/बाड़मेर

अपीलांत	बनाम	रेस्पोंडेंटगण
1. चिमाराम पुत्र नत्थाराम		1. हनुमानराम पुत्र लाधाराम
2. रूपाराम पुत्र नत्थाराम		जाति जाट निवासी गंगाणियों
3. केसाराम पुत्र नत्थाराम जाति जाट निवासी साजियाली मूलराज द्वितीय तहसील पचपदरा		की ढाणी कालेवा तहसील पचपदरा
4. पोलाराम पुत्र नत्थाराम जाति जाट निवासी लापून्दड़ा मलवेचान चौहान लापून्दड़ा तरली तहसील गिड़ा		2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा
5. राहिंगाराम पुत्र नत्थाराम जाति जाट निवासी लापून्दड़ा मलवेचान लापून्दड़ा बारठान तहसील गिड़ा		

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 100/2022 बचनवान हनुमानराम बनाम चिमाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 05.07.2023 के विरुद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री अचलाराम थोरी अपीलान्त की ओर से।
2. वकील श्री रूगाराम कड़वासरा उतरदाता संख्या 01 की ओर से।

**निर्णय**

दिनांक:-05.05.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उतरदाता संख्या 01 ने अधीनस्थ अदालत में एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा गंगाणियों की ढाणी पटवार हल्का कालेवा तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 428 रकबा 77.02 बीघा व खसरा संख्या 853/429 रकबा 09.11 बीघा का आया हुआ है। प्रार्थी को अपने खेत तक पहुंचने हेतु विप्रार्थीगण के खेत मौजा साजियाली मूलराज द्वितीय पटवार हल्का कालेवा, के खसरा संख्या 199 रकबा 41.18 व खसरा संख्या 203 रकबा 05.12 बीघा भूमि में से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। उपरोक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांत को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया उक्त मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते का

(नवनीत कुमार)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर

अभाव सिद्ध नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरुद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेसपोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। प्रार्थी/उत्तरदाता की खातेदारी की भूमि गंगाणियों की ढाणी की राजस्व सीमा में है, तथा विप्रार्थी के खातेदारी की भूमि दूसरे राजस्व गांव साजियाली मूलराज द्वितीय में अवस्थित हैं, दोनों भूमियों के बीच सरहद अवस्थित हैं, तथा जहाँ पर सरहद के नाप के मुटाम स्थाई सीमा चिन्ह लगे हुए हैं, रास्ता बनने से ऐसे सीमा चिन्ह नष्ट हो जायेंगे, यदि वैकल्पिक तौर से प्रार्थी को अवागमन हेतु रास्ता खसरा संख्या 435 गंगाणियों की ढाणी में से दिया जाता है तो उससे न तो सीमा चिन्ह नष्ट होंगे, और न गांव की सीमा ही प्रभावित होगी। उक्त रास्ता निकटतम रास्ता है, अलावा इसके खसरा संख्या 435 प्रकरण के प्रार्थी/उत्तरदाता के परिवारजन ही हैं, जहाँ से खसरा संख्या 435 में रास्ता प्रस्तावित हो सकता है, वहां मौके पर खुली भूमि है, उक्त बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को जबाव पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय में उत्तरदाता संख्या 01 द्वारा प्रार्थना-पत्र पेश करने पर एकतरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत करने के बावजूद भी उत्तरदाता संख्या 01 का प्रार्थना-पत्र पर स्वीकार कर आलोच्य आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों को नजर अन्दाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। हस्तगत प्रकरण में मौका रिपोर्ट मौका देखे बिना ही अपने कार्यालय में बैठकर उत्तरदाता संख्या 01 के साथ मिलीभगत कर अपना निजी हित साधने हेतु उत्तरदाता संख्या 01 के कहे अनुसार गलत मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। अपीलार्थीगण के उक्त मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के स्थान पर कभी भी रास्ता नहीं रहा। अपीलाधीन रास्ते की उत्तरदाता को कोई अत्यांतिक आवश्यकता नहीं थी केवल मात्र अपनी जोत के सुविधाजनक उपभोग एवं उपयोग के लिए रास्ते का आवेदन किया गया। रेसपोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद

(नवनीत कुमार)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोंडेंट्स द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरुद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोंडेंट संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम में बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोंडेंट्स/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने-जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांट्स द्वारा अपनी अपील में बताये रास्ते के विकल्प प्रस्तावित रास्ते से कहीं अधिक दूरी का तथ्य गैर वाजिब है। अपीलाधीन आदेश की पालना में प्रतिकर की राशि तहसील कार्यालय में जमा कर दी गई। रेस्पोंडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोंडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।


पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में बाद सुनवाई पश्चात पारित किया गया। उसके उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ते के अलावा रेस्पोंडेंट्स की खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु किसी भी प्रकार के प्रदत्त रास्ते से निकटतम/सुगम वैकल्पिक रास्ता का विकल्प नहीं बताया गया। अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोंडेंट्स को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। मौका रिपोर्ट दिनांक 19.09.2022 में स्पष्ट वर्णित है कि प्रार्थी के खेत ग्राम गंगाणियों की ढाणी पटवार मण्डल कालेवा भू.अ.नि. पाटोदी तथा उसी सरहद पर खेत खसरा सं. 435 जो कि


(नवनीत कुमार)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर

साजियाली मूलराज ॥ के कटाण मार्ग से जुड़ा हुआ हैं से भी प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु रास्ता प्रस्तावित किया जाये तो रास्ते की लम्बाई, चौड़ाई में कोई अंतर नहीं आयेगा।" उपरोक्त मौका रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा उक्त खसरे तक पहुंचने हेतु कोई निकटतम विकल्प नहीं है। रेस्पोंडेंट्स/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलांटस द्वारा येन केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर प्रकरण को अनावश्यक लंबा करने की नियत से हस्तगत अपील पेश की गई। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मददेनजर रेस्पोंडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 100/2022 बउनवान हनुमानराम बनाम चिमाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 05.07.2023 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 05.05.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
5/5/2025  
(नवनीत कुमार)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर

  
5/5/2025  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
नवनीत कुमार  
बाड़मेर